

**आदेश**

विषय:- शिक्षता प्रशिक्षण स्कीम के तहत पावर डेलीगेट करने बारे।

अप्रैटिस एक्ट-1961, के तहत अधोहस्ताक्षरी को बतौर राज्य शिक्षता सलाहकार, प्रदत्त शक्तियों को अप्रैटिस ट्रेनिंग स्कीम लागू करने के कार्यों के तीव्र निपटान हेतु उप-शिक्षता सलाहकार/सहायक शिक्षता सलाहकार को तुरन्त प्रभाव से निम्नअनुसार शक्तियां डेलीगेट की जाती है:-

क्र०	कार्य का विवरण	वर्तमान डेलीगेट शक्तियां	संशोधित डेलीगेटिड शक्तियां
1.	राज्य में प्रथम आये शिक्षुओं को स्कील टैस्ट कम्पीटिशन में भेजने बारे।	उप-शिक्षता सलाहकार/संयुक्त शिक्षता सलाहकार,	उप-शिक्षता सलाहकार/संयुक्त शिक्षता सलाहकार,
2.	अन्य राज्यों से आई.टी.आई. पास छात्रों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे।	उप-शिक्षता सलाहकार/संयुक्त शिक्षता सलाहकार,	सहायक शिक्षता सलाहकार
3.	फ़ेशर शिक्षुओं की बेसिक ट्रेनिंग/आर. आई की अनुमति प्रदान करना।	उप-शिक्षता सलाहकार/संयुक्त शिक्षता सलाहकार,	सहायक शिक्षता सलाहकार
4.	प्रतिष्ठानों द्वारा कोटे से अधिक शिक्षुओं की अनुमति।	उप-शिक्षता सलाहकार/संयुक्त शिक्षता सलाहकार	उप-शिक्षता सलाहकार/संयुक्त शिक्षता सलाहकार
5.	फ़ेशर शिक्षु की नियुक्ति की अनुमति देना।	उप-शिक्षता सलाहकार/संयुक्त शिक्षता सलाहकार	सहायक शिक्षता सलाहकार
6.	बाहरी राज्यों के शिक्षुओं की नियुक्ति की अनुमति देना।	इस बारे हिदायतें दिनांक 30.09.2010 को जारी की गई हैं, परन्तु अभी तक इस कार्य हेतु उप-शिक्षता सलाहकार/राज्य शिक्षता सलाहकार की अनुमति मांगी जाती है।	सहायक शिक्षता सलाहकार

सभी अधिकारी डेलीगेटिड शक्तियों का उपयोग करते समय अप्रैटिस एक्ट-1961, के तहत समय-समय पर जारी हिदायतों/नियमों/अधिसूचनाओं की पालना सुनिश्चित करेंगे।


दिनांक:- 28.12.2016

डा० अंशज सिंह  
राज्य शिक्षता सलाहकार, एवं  
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।  
दिनांक: 10-01-2017

पृष्ठांकन क्र०: टी/एपीपी/3/103/487

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. निदेशालय पर सभी अधिकारी (सिवाय निदेशक)।
2. सभी जिलों के सहायक शिक्षता सलाहकार/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर, भिवानी, फरीदाबाद, मोडियां खेडा, गुडगाव, हिसार, झज्जर एट गुडा, जीन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नूह पलवल, पंचकुला, पानीपत, रिवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, तथा यमुनानगर।
3. सभी प्रधानाचार्य/वर्गअनुदेशक इन्वार्ज, राजकीय आई.टी.आई./राजकीय आई.टी.आई. (महिला) संस्थान, हरियाणा राज्य में।
4. निजी सहायक/निदेशक



उप-शिक्षता सलाहकार  
कृते: राज्य शिक्षता सलाहकार एवं  
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा चण्डीगढ़।